न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी रावतसर

पीठासीन अधिकारी :– श्री संजय कुमार आर.ए.एस.

मुकदमा संख्या :– 453/2024 अन्तर्गत धारा 88 आरटीएक्ट

1. मीरा पत्नी कीरताराम जाति जाट निवासी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।
2. दलीप कुमार पुत्र किरताराम जाति जाट निवसी घणियासर तहसील पल्लू जिला हनुमानगढ़।

–वादीगण

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार (राजस्व) पल्लू, तहसील पल्लू।

–प्रतिवादी

उपस्थितः– श्री अनिल सिहाग वकील–वादीगण
पेरोकार राज–प्रतिवादी

निर्णय दिनांक– 07.10.2024

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वादी द्वारा दिनांक 18.09.2024 को विरूद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जरिये वकील पेश किया गया कि वादीगण के नाम से तहसील पल्लू की रोही मौजा घणियासर के खाता संख्या 227/231 के खसरा नम्बर 211/6 की 6.3250 हैक्टेयर कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड हैं। दावा की मद संख्या 2 में वर्णित कृषि भूमि का नक्शा पूर्व में सही क्षेत्रफल व माप के अनुसार बना हुआ था लेकिन वर्तमान में ट्रेस नक्शा तैयार करते समय वादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 211⁄6 की 6.3250 हैक्टेयर का नक्शा छोटा कम क्षेत्रफल का नक्शा बना दिया गया हैं। जिससे वादीगण के खातेदारी अधिकारो का हनन हो रहा हैं तथा उन्हे भारी परेशानी हो रही हैं। रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 211/6 की 6.3250 हैक्टेयर कृषि भूमि का भू–राजस्व विभाग द्वारा ऑनलाईन वन टु वन करते समय नक्शा का क्षेत्रफल कम दर्शाते हुए गलत क्षेत्रफल दिया गया हैं जबकि वादीगण की कृषि भूमि 6.3250 हैक्टेयर हैं तो जो नक्शा वर्तमान में बनाया गया हैं वह बहुत कम भूमि का हैं। इसलिए मुताबिक जमाबन्दी क्षेत्रफल कृषि भूमि का ऑनलाईन नक्शा की वर्तमान तरमीन खारिज करते हुए नये सिरे से मुताबिक क्षेत्रफल जमाबन्दी के अनुसार नया नक्शा बनाया जाना न्यायहित में हैं। उक्त गलत नक्शा रहने से वादीगण के खातेदारी अधिकारी पर वितरित असर पड़ रहा हैं। इसलिए वादीगण अपनी खातेदारी कृषि भूमि का नक्शा दूरूस्त करवाकर सही नक्शा जारी करवाने का अधिकारी हैं। यही वाद कारण हैं। वादीगण ने प्रतिवादी को राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 211/6 की 6.3250 हैक्टेयर के कम क्षेत्रफल के गलत नक्शा को दूरूस्त करने व उसके स्थान पर सही नक्शा जारी करने का निवेदन किया लेकिन प्रतिवादी ने ऐसा करने से दिनांक 11.09.2024 को इन्कार कर दिया। यही आधार वाद हैं। वादी ने अपने दावा के साथ दस्तावेज के सूची मय दस्तावेज जमाबन्दी घणियासर बहक दलीप वगैरह, ऑनलाईन नजरी नक्शा घणियासर, फोटोप्रति नक्शा घणियासर पेश किये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 11:39:47 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

वाद वादीगण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहसीलदार पल्लू से रिपोर्ट मांगी गई। तहसीलदार पल्लू ने अपने पत्र क्रमांक 984 दिनांक 04.10.2024 के द्वारा रिपोर्ट मय फर्द मौका, नजरी नक्शा प्रस्तुत की। जिसे शामिल फाईल किया गया।

वकील उभय पक्षकारान की बहस सुनी। वकील वादीगण ने वाद पत्र में अकिंत तथ्यों को दोहराते हुए वाद को डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। दुसरी तरफ राजपेरोकार ने अपनी बहस में रिपोर्ट के तथ्यों को दोहराया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध तहसीलदार भू0अ0 निरीक्षक एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट के अनुसार ख.नं. 211/6 का रकबा वादीगण के नाम दर्ज है उक्त खसरा पर वादीगण द्वारा ग्वार की फसल काश्त की हुई है। मौके पर उक्त रकबा, राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) व राजस्व नक्शा में भिन्नता है एवं कब्जा संबंधी विवाद है। उक्त खसरा नम्बरान की तरमीम सेग्रीगेशन कार्य के दौरान वन टू वन मैपिंग के वक्त हुई है। रिपोर्ट के साथ नजरी नक्शा पेश किया है।

अतः वाद वादीगण मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पल्लू डिक्री करते हुए घोषणा कि जाती है कि वादीगण की कृषि भूमि रोही मौजा घणियासर के खसरा नम्बर 211/6 की 6.3250 हैक्टेयर भूमि की तरमीम तहसीलदार की रिपोर्ट व नजरी नक्शा के अनुसार दुरूस्त की जाती है। पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमलदरामद किया जावे।

निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास आज दिनांक 07.10.2024 को सुनाया गया।

(संजय कुमार)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
रावतसर

Signature Not Verified

Digitally signed by Sanjay Kumar
Date: 2024.10.15 11:59:47 IST
Reason: SelfAttested